अरापत्रित रेल सेवकों की वरिष्ठता सम्बन्धी नियम
(Rules Regulating Seniority of Non-gazetted Railway Servants)

अराजपत्रित रेल सेवकों की वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्त अपनाए जाते है :–

प्रारम्भिक भर्ती वाले वेतनमान में वरिष्ठता :

जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो, किसी वेतनमान में पद को धारित करने वालो के बीच वरिष्ठता उस वेतनमान में नियुक्ति की तिथि से शासित होगी। यदि किसी रेल सेवक को प्रारम्भिक वेतन से अधिक वेतन दिया जाए, तो इससे नियमतः उन सेवकों से ऊपर वरिष्ठता नहीं मिलेगी जो पहले से नियमित पदों पर नियुक्त है। पदों की उन कोटियों में जिसका कुछ भाग सीधी भर्ती व कुछ भाग पदोन्नति द्वारा भरा जाता है, वरिष्ठता निश्चत करने के मापदण्ड पदोन्नति पाने वालों के संबंध में उचित प्रक्रिया के बाद नियमित पदोन्नति की तिथि और सीधी भर्ती वालों के संबंध में वर्किंग पोस्ट पर कार्यभार सम्भालने की तिथि होनी चाहिए, बशर्ते पदोन्नति पाने वाले व सीधी भर्ती वाले रेल सेवकों में परस्पर वरिष्ठता बनाई रखी जाए। जब पदोन्नति पाने वाले व सीधी भर्ती वाले रेल सेवकों की किसी वेतनमान में प्रवेश की तिथि एक ही हो, तब उन्हे एकान्तर स्थानों (alternative position) पर रखा जाना चाहिए। पदोन्नति पाने वाले, सीधी भर्ती वाले रेल सेवकों से वरिष्ठ होंगे और प्रत्येक समूह की आपसी वरिष्ठता बनाए रखी जायेगी।

(i) यदि सीधी भर्ती से आए कर्मचारी की प्रशिक्षण अवधि, सेवाओं की अति–आवश्यकता को देखते हुए कम की जाती है तो सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी के मामले में कार्य पद की कार्यग्रहण तिथि वह होगी जिसमें निर्धारित प्रशिक्षण अवधि को पूरा करने के बाद वह कार्य पद को ग्रहण करता है।

(ii) उपर्युक्त मद (i) में निहित प्रावधान इंटर मिडिएट अप्रेन्टिस और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (यातायात और वाणिज्य अप्रेन्टिस के मामले में 10%) द्वारा भरी जाने वाली कतिपय कोटियों में विभागीय रूप से निर्धारित कोटा के विरूद्ध चयनित कर्मचारियों पर भी लागू होगी। (IREM-I Para-302)

रेलवे भर्ती बोर्ड अथवा अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानसार किया जाएगा :– (Para-303)

(क) प्रशिक्षण स्कूलों में प्रारम्भिक प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारियों की वरिष्ठता कार्य पद पर तैनात करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति पर आयोजित परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर संबंधित वेतनमान में निर्धारित होगी। जिन कर्मचारियों ने बाद में पाठ्यक्रम उपस्थित किया है या जिन्होने बाद के अवसरों में परीक्षा पास की हो, वे पूर्व कोर्स में पास कर्मचारियों से कनिष्ठ होंगे। यदि रेलवे भर्ती बोर्ड के एक ही पेनल को प्रशासनिक कारणो से बैच में प्रारम्भिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तो बैचवार परस्पर वरिष्ठता नियमित की जाएगी बशर्ते रेलवे भर्ती बोर्ड के पेनल में वरिष्ठ उम्मीदवार को प्रशासकि कारणो से अगर सम्बन्धित बैच में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जाता है तो उन्हे परस्पर वरियता हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड के पेनल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ शामिल किया जाएगा, बशर्ते ऐसे व्यक्ति प्रथम प्रयास में प्रशिक्षपाण संबंधी परीक्षा पास करते हैं। (RBE No. 47/93)

(ख) जिन कर्मचारियों को नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है तो उनकी वरियता का निर्धारण रेलवे भर्ती बोर्ड अथवा अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

जब दो अथवा दो से अधिक प्रत्याशी समान परीक्षा/चयन के अंत में समान मेरिट प्राप्त करते है तो इनकी वरिष्ठता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जायेगा तथा उम्र में बड़ा प्रत्याक्षी वरिष्ठ रहेगा।(Para-304)

लेकिन जब कोई परीक्षार्थी जिसकी वरिष्ठता पैरा–303, 304 के तहत निर्धारित की जानी है, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकता है तो नियुक्त करने वाले प्राधिकारी उस परीक्षा/चयन में चयनित सभी उम्मीदवारों के नीचे उसकी वरिष्ठता का निर्धारण कर सकता है जिन्होने समय रहते कार्यभार ग्रहण कर लिया था या उनमें भी नीचे जिन्होने बाद की परीक्षा/चयन में चयनित होकर उसके पहले कार्यभार ग्रहण कर लिया हो। (Para-305)

उपर्युक्त पैरा–305 में दिये गये प्रावधान के अलावा उम्मीदवार जिनकी नियुक्ति हेतु चयन पिछले चयन में हो चुका हो वे बाद में चयनित उम्मीदवारों से वरिष्ठ होंगे। इसका नियुक्ति तिथि से कोई संबंध नहीं होगा। (Para-306)

परीवीक्षा अवधि (यदि कोई है तो) के लगातार में बिना व्यवधान के स्थाईकरण होता है तो उस ग्रेड में उसकी नियुक्ति की तिथि उसकी परीवीक्षा अवधि के शुरू होने की तिथि से मानी जायेगी। (Para-307)

जब एक परीवीक्षा अवधि के पश्चात एक परीवीक्षा अवधि बढ़ाई जाए और इस बढ़ाई गई परीवीक्षा अवधि पश्चात बिना व्यवधान के पुष्टिकरण होता है तो उस ग्रेड या पद पर नियुक्ति की तिथि, यदि अन्यथा उल्लेखित नहीं है, परीवीक्षा अवधि आरम्भ होने के बाद की तिथि से गणना की जायेगी।

ऐसे मामलों में जहां परीवीक्षा अवधि का विस्तार नहीं किया जाता है और ऐसी अवधि की समाप्ति पर कर्मचारी का पुष्टिकरण कर दिया जाता है तो उस ग्रेड या पद पर नियुक्ति की तिथि वह होगी जब कर्मचारी को आरम्भिक प्रशिक्षिण हेतु प्रशिक्षण स्कूल में भेजा गया था या उसने कार्य पद पर कार्य ग्रहण किया था, उनमें से जो भी पहले हो। (Para-308)

<u>पदोन्नति पर वरिष्ठता</u>

ऊपर दिया गया पैराग्राफ 306 एक या समान श्रेणी की पदोन्नति रिक्तियों में वरिष्ठता पर समान रूप से लागू होता है। सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने में किसी प्रकार के विलम्ब, यदि कोई है, तो उस पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। (Para-309)

<u>पारस्परिक स्थानान्तरण</u>

वे रेल कर्मचारी जिनका स्थानान्तरण परस्पर विनिमय से एक मंडल, कार्यालय या रेलवे के किसी संवर्ग से दूसरे मंडल, कार्यालय या रेलवे में समान संवर्ग में हुआ है उनकी वरिष्ठता का आधार सम्बन्धित ग्रेड में पदोन्नति की तिथि होगी या वे उन रेल सेवकों की वरिष्ठता ले सकते है, जिनके साथ उनका स्थानान्तरण हुआ है, दोनों में से जो भी नीचे हो। (Para-310)

<u>प्रशासनिक हित में स्थानान्तरण</u>

प्रशासन के हित में एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में स्थानान्तरित होने वाले रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण सम्बन्धित ग्रेड में नियुक्ति/पदोन्नति, जैसा भी मामला हो, की तिथि से विनियमित होगी।(Para-311)

<u>स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण पर वरिष्ठता</u>

स्वयं के अनुरोध पर रेल कर्मचारी के एक संवर्ग, मंडल अथवा रेलवे से स्थानान्तरण होने पर वरिष्ठता नए संवर्ग में उन सभी कर्मचारियों से नीचे दी जाएगी, जिनका स्थाईकरण हो चुका हो या जो अस्थाई/स्थानापन्न रूप से संबंधित ग्रेड में कार्य कर रहे हो तथा ऐसे मामले मे स्थानान्तरित होने वाले कर्मचारी की स्थाईकरण की तारीख, स्थानापन्न रूप से कार्य करने की अवधि आदि नहीं देखी जायेगी। (Para-312)

i. यह सिद्धान्त स्वयं के अनुरोध पर, एक संवर्ग/मण्डल से दूसरे संवर्ग/मण्डल में उसी रेलवे सम्भाग में स्थानान्तरा पर भी लागू होगा।
ii. सुसंगत वेतनमान (relevant grade) का आशय उन सभी पदो के लिये लागू होगा जहाँ सीधी भर्ती का अंश हो।

स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण निम्न वरियता उस संवर्ग/ग्रेड में ही केवल किया जा सकता है जिनमें सीधी भर्ती का प्रावधान निहित हो तथा कर्मचारी उस पद के लिए निर्धारित योग्यता रखते हो। मध्यवर्ती ग्रेडो में, जिनमें सारे पद निचले ग्रेड के कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाते है, उनमें इस प्रकार के स्थानान्तरण की अनुमति नहीं होगी। (RBE No. 24/2000) (Para-313)

<u>मेडिकल विकोटिकृत कर्मचारी</u> :–

(क) (i) स्वास्थ्य के आधार पर विकोटिकृत कर्मचारियों को संभवतः ऐसी वैकल्पिक श्रेणियों में समाहित किया जाना चाहिये जिसमें कर्मचारी के पूर्व कार्य अनुभव का उपयोग हो सके।

(ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से विकोटिकृत कर्मचारियों को वैकल्पिक पदों पर समाहित किये जाते समय उनकी वरिष्ठता का निर्धारण उनके द्वारा समान या समकक्ष वेतनमान में की गई सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

यदि स्वास्थ्य के आधार पर विकोटिकृत कर्मचारी मूलतः उसी कोटि में समायोजित किया जा रहा है जिसमें से वह पदोन्नत हुआ अर्थात जो उसकी मूल कोटि है, तो जिस ग्रेड में उसका समायोजन किया गया है, उसमें वह अपने पूर्ववर्ती वरिष्ठ कर्मचारियों से ऊपर नहीं रखा जायेगा।

(iii) स्वास्थ्य के आधार पर विकोटिकृत रनिंग कर्मचारियों को विभिन्न वैकल्पिक पदों पर समाहित करते समय उनके वेतन का निर्धारण प्रतिशत रनिंग भत्ते के रूप में वेतन के साथ जोड़कर उनके पदों की पहचान के प्रयोजनार्थ वेतनमान के न्यूनतम तथा अधिकतम में जोड़ा जाना चाहिए, तत्पश्चात उनकी वरिष्ठता समकक्ष समायोजित पदों में निश्चित की जानी चाहिये।

{No. E(NG)11/77/RE-3-2 of 02.09.77 and E(NG)1-80-SR-6/83 of 05.03.1981}

(ख) रेल कर्मचारी जिसकी सेवाएं इसलिए समाप्त कर दी गई थी क्योंकि उन्होने असाधारण छुट्टियों को मिलाकर भी सभी प्रकार की छुट्टियों से अधिक छुट्टियां ले ली थी या चिकित्सा अधिकारियों ने T.B. (तपेदिक) प्लूरिसी और कोढ़ के रोगियों को असाधारण छुट्टी देने की सिफारिश नहीं की और जिन्हे चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा कार्य करने के लिए उपयुक्त घोषित किये जाने के बाद रेल सेवा में पुनः नियोजित किया गया हो, उन्हे उनके पुनः नियोजन की तारीख से सभी स्थाई कर्मचारियों के नीचे वरियता दी जायेगी। बशर्ते स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त ठहराए जाने से पहले वे स्थाई हो या उस बीच स्थाई कर दिये गये होते। रेल कर्मचारी जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त ठहराये जाने के समय स्थानापन्न या अस्थाई रूप में कार्य कर रहे थे या जो उस बीच में स्थाई नहीं होते, उन्हे उनके पुनः नियोजन की तारीख को यथास्थिति स्थानापन्न या अस्थाई कर्मचारियों के नीचे स्थान दिया जायेगा।

(ग) स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त कर्मचारी, जैसा कि उपर्युक्त पैरा (क) में दर्शाया गया है, को उनके मूल पद पर लगाने पर वरिष्ठता निम्न प्रकार से सुनिश्चित की जायेगी :–

(i) वे रेल कर्मचारी जो अपील के लिये निर्धारित समय सीमा में अपील करते हैं या/और उनका अपील पर समय सीमा में छूट देते हुए कार्रवाई कर ली जाती है और उपयुक्त घोषित कर दिया जाता है, वे अपनी नियुक्ति की मूल श्रेणी/कोटि में अपनी पूर्व वरियता के पात्र होंगे।

(ii) जो कर्मचारी विलम्ब से अपील करते है और फिट (उपयुक्त) घोषित कर दिये जाते है या जो उपचार करवाते है और उसे फलस्वरूप उपयुक्त घोषित कर दिये जाते है, यदि उन ग्रेडो में जिन पर वे थे, पहले ही स्थाई कर दिये गये थे तो उसकी वरिष्ठता पर उस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा, जिस सीमा तक मूल कोटि में उनके पुनः समायोजन से पहले कोई अन्य व्यक्ति स्थाई कर दिया जाता है/ या कर दिया गया है, लेकिन यदि वे मूल कोटि में केवल स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे तो उनकी वरिष्ठता उन सब कर्मचारियों से नीचे होगी, जो उस समय तक स्थाई हो गये हो लेकिन इसका उनकी वरिष्ठता उन मूल कनिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अभी भी स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे है।

(घ) जब कोई कर्मचारी अपनी स्वयं की इच्छा पर निम्न वरियता को स्वीकार करते हए किसी नई युनिट में आता है तथा वहां स्वास्थ्य के आधार पर विकोटिकृत हो जाता है तो पैरा (क) (i) के प्रावधान नई युनिट में उसकी सेवाओं के विस्तार के अनुसार ही लागू होंगे।

(R.Bds No. E(NG) 1-71 SR 6/39 Dt. 31.05.1977)

(ड) उन कर्मचारियों के संबंध में जिनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नहीं होता है, लेकिन वे अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण अपनी श्रेणी बदलवाना चाहते है तथा उनकी स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा उनकी श्रेणी बदले जाने की अनुशंसा की जाती है, ऐसी स्थिति में उनकी वरियता स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण की भांति ही पैरा–312 को आधार मानकर की जायेगी।

(R.Bds No. E(NG) 1-76 SE 6/37 Dt. 08.09.1976)

<u>पुनः समायोजित अधिशेष कर्मचारियों की वरिष्ठता</u>

अधिशेष कर्मचारी पुनः समायोजित इकाई/विभाग में वरिष्ठता निर्धारण के उद्देश्य हेतु पिछली इकाई/विभाग में दी गई सेवाओं के लाभ के हकदार नहीं होंगे। ऐसे कर्मचारी अपनी वरिष्ठता, पदोन्नति इत्यादि मामलों में नवआगन्तुक के रूप में देखे जायेंगे।

I. जब किसी ईकाई/विभाग की ग्रेड विशेष के दो या दो से अधिक अधिशेष कर्मचारियों का किसी अन्य ईकाई/विभाग के किसी ग्रेड में समायोजन हेतु अलग–अलग तिथियों को चयन किया जाता है तो दूसरी ईकाई/विभाग में उनकी अन्तर वरिष्ठता (inter-se-seniority) पिछली ईकाई/विभाग के समान रहेगी, बशर्ते –

(i) इन तिथियों के बीच में उस ग्रेड में नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती से चयन नहीं किया गया हो, तथा

(ii) इन तिथियों के बीच में उस ग्रेड में नियुक्ति हेतु किसी पदोन्नत कर्मचारी का अनुमोदन नहीं किया गया हो।

II. जब किसी ईकाई/विभाग में एक ग्रेड विशेष के दो या दो से अधिक अधिशेष कर्मचारियों का अन्य ईकाई/विभाग की एक ग्रेड में पुनः समायोजन हेतु एक साथ चयन किया जाता है तो दूसरी/इकाई विभाग में पुनः समायोजन पर ग्रेड विशेष में उनकी अन्तर वरिष्ठता पिछली ईकाई/विभाग के समान ही रहेगी। (RBE No. 105/2004)

वरिष्ठता जब नियुक्ति की तिथि समा हो :

पैरा–302, 303, 305, 306 के अधीन, जब एक से अधिक कर्मचारियों की ग्रेड में नियुक्ति की तिथियां समान हो तो निचली ग्रेड में प्रवेश की तिथि वरिष्ठता का निर्धारण करेगी, यदि ये तिथियां भी समान हो तो पदोननति के चेनल में निचले क्रम में न्यूनतम ग्रेड तक, प्रत्येक निचले ग्रेड में प्रवेश की तिथियां वरिष्ठता निर्धारित करेगी। यदि ये तिथियां भी समान हो तो संबंधित कर्मचारियों की जन्मतिथियां वरिष्ठता निर्धारित करेगी। आयु में बड़ा कर्मचारी वरिष्ठ होगा। (Para-314)

विभागीय परीक्षा/ट्रेड टेस्ट : (Para-315)

पैरा–316, 317 और 320 के अधीन, जहां किसी विशेष नॉन सलेक्शन पद पर पदोन्नति से पूर्व निर्धारित विभागीय परीक्षा या ट्रेड टेस्ट उतीर्ण करना अनिवार्य शर्त है तो अपनी बारी में एक ही या अलग–अलग तिथियां, जिन्हे एक लगातार परीक्षा माना जाता है, को परीक्षा/टेस्ट उतीर्ण करने वाले कर्मचारियों की संबंधित वरिष्ठता का निर्धारण उनकी मूल वरिष्ठता के संदर्भ में किया जायेगा।

ऐसा रेल कर्मचारी जो अन्य कर्मचारियों के साथ अपनी बारी में ऐसे कारणों से परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता जो उसके नियंत्रण में नही है तो उसके उपलब्ध होने पर परीक्षा आयोजित की जायेगी तथा वह उसे पास कर लेता है तो वह पदोन्नति के लिए उसी रूप में हकदार माना जायेगा कि उसने वह परीक्षा अपनी बारी में उतीर्ण की हो। (Para-316)

सेक्शन ऑफिसर(एकाउण्टस) स्टेशन निरीक्षक या स्टोर एकाउण्टस के रूप में पदोन्नति हेतु वरिष्ठता : (Para-317)

(क) सेक्शन ऑफिसर(एकाउण्टस) स्टेशन निरीक्षक या स्टोर एकाउण्टस के पदो पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता पूर्णतः उन पदो पर पदोन्नति हेतु पात्रता परीक्षा उतीर्ण करने की तिथि अनुसार गिनी जायेगी। किसी वर्ष विशेष में परीक्षा उतीण करने वाले उम्मीदवार उसे बाद के वर्षो में परीक्षा उतीर्ण करने वालो से स्वमेवः वरिष्ठ होंगे, चाहे परीक्षा उतीर्ण करने से पूर्व उनकी संबंधित वरिष्ठता कुछ भी रही हो।

लेखा लिपिक की कन्ष्ठि लेखा सहायक पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता : (Para-318)

कनिष्ठ लेखा सहायक की वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति पाने वाले की पदोन्नति तिथि के संदर्भ में और सीधी भर्ती वाले संदर्भ में नियुक्ति तिथि से किया जायेगा।

अचयन पदों पर पदोन्नति पर वरिष्ठता : (Para-319

(क) गैर चयन पदो पर पदोन्नति वरिष्ठता व उपयुक्तता के आधार पर होगी। उपयुक्तता का निर्णय पद को भरने वाले समक्षम प्राधिकारी द्वारा मौखिक और/या लिखित या विभागीय परीक्षा या ट्रेड टेस्ट या कर्मचारी के सेवा रिकार्ड की जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाये, द्वारा किया जायेगा। एक रेल कर्मचारी जिसे अपनी बारी में एक रिक्ति के विरूद्ध उपयुक्त पाये जाने के पश्चात पदोन्नत किया जाता है, जो कि गैर आकस्मिक (non fortuitous) है, उसे उस ग्रेड में उन सबसे वरिष्ठ माना जायेगा जो उसके पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर पदोन्न हुए है।

(ख) एक कर्मचारी जो पहले परीक्षा देकर पात्रता प्राप्त कर एक गैर आकस्मिक रिक्ति के पद पर पदोन्नति प्राप्त करता है, लेकिन इसके पश्चात होने वाले परीक्षा से पूर्व निचली ग्रेड में पदावनत हो जाता है, वह बाद की परीक्षा में पात्रता प्राप्त करने वाले अन्य सभी कर्मचारियों से वरिष्ठ होगा। वे कर्मचारी जिन्होने या तो आकस्मिक रिक्तियों पर स्थानापन्न रूप में कार्य किया है या बिल्कुल नहीं किया है उन्हे बाद की पदोन्नतियां में वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जायेगा।

उच्चतर ग्रेड में चयन/गैर चयन पद हेतु उपस्थित होने वाले विभिन्न वरिष्ठता ईकाईयों के कर्मचारियों की बीच की ग्रेड में पारस्परिक वरिष्ठता : (Para-320)

जब एक पद (चयन व गैर चयन) विभिन्न वरिष्ठता ईकाईयों क कर्मचारियों पर विचार कर भरा जाता हैं, वहां कर्मचारी द्वारा समान या समतुल्य ग्रेड में की गई लगातार सेवा की कुल अवधि अन्तर वरिष्ठता (inter seniority) का निर्धारण करेगी जिसमें कर्मचारी के पुष्टिकरण की तिथि से कोई संबंध नहीं होगा और कम अवधि की लगातार सेवा की तुलना में अधिक अवधि की लगातार सेवा देने वाला कर्मचारी वरिष्ठ होगा।

यह इस प्रावधान के अधीन होगा कि इस उद्देश्य के लिए संबंधित वेतनमान में केवल गैर आकस्मिक सेवा को ही ध्यान में रखा जाना चाहिये।

नोट : गैर आकस्मिक सेवा से आशय उस सेवा से है जो उचित प्रक्रिया पश्चात नियमित पदोन्नति पश्चात की गई है।

रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची देखने की छुट : (Para-321)

(क) रेल कर्मचारियों को वह वरिष्ठता सूची देखने की छूट होगी, जिसमें उनके नाम है और यदि इसकी सुविधाजनक व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उन्हे स्वयं की प्रार्थना पर वरिष्ठता सूची में उनके स्थान के बारे में सूचित किया जा सकता है।

(ख) वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर संबंधित कर्मचारी को दी गई वरिष्ठता स्थिति संबंध में अपना प्रतिवेदन देने की इजाजत दी जा सकती है। इस अवधि के पश्चात वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार के संशोधन पर विचार नहीं किया जानाा चाहिये।

वेतन या ग्रेड में कमी का वरिष्ठता पर प्रभाव : (Para-322)

1. निचले ग्रेड व वेतन में रखना :

वेतन में कमी, जो कि उच्चतर ग्रेड या श्रेणी से निम्नतर ग्रेड/श्रेणी में कमी से अलग है, रेल कर्मचारी की वरिष्ठता सूची में स्थिति पर प्रभाव नहीं डालती। वेतन में कमी करने के आदेश देने वाले प्राधिकारी को उस अवधि का उल्लेख अवश्य करना चाहिये जब तक यह प्रभावी रहेगी और क्या पुनः बहाली पर कमी की अवधि उसके भविष्य की वेतन वृद्धियों को स्थगित करती रहेगी और यदि हां, तो किस सीमा तक।

2. निम्न सेवा, ग्रेड या पद के रूप में कमी करना :

(क) जहां आदेश कमी (Reduction) का दण्ड देकर कमी की अवधि का उल्लेख नहीं करता है और इसके साथ जुड़ा हुआ एक आदेश रेल कर्मचारी की स्थाई रूप से पदोन्नति हेतु अयोग्य घोषित करता है तो पुनः पदोन्नति और वरिष्ठता निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) जहां आदेश कमी का दण्ड देकर कमी की अवधि का उल्लेख नहीं करता है तो रेल सेवक की अनिश्चित अवधि के लिए निचले स्तर पर पदावनत माना जाना चाहिये अर्थात उस अवधि तक जब पदावन्नत के आदेश के पश्चपात अपनी कार्यकुशलता के आधार पर पदोन्नति हेतु योग्य नहीं माना जाता। पुनः पदोन्नति पर ऐसे रेल सेवक की वरिष्ठता का निर्धारण पुनः पदोन्नति की तिथि से होना चाहिये। ऐसे सभी मामलों में कर्मचारी उच्चतर सेवा ग्रेड या पद में अपनी मूल वरिष्ठता का पूर्णतः खो देता है। पुनः पदोन्नति पर ऐसे रेल सेवक की वरिष्ठता का निर्धारण पुनः पदोन्नति की तिथि से किया जाना चाहिये जिसका उस कर्मचारी द्वारा कमी (Reduction) करने से पूर्व ऐसी सेवा ग्रेड या पद पर दी गई सेवाओं से कोई संबंध नहीं होगा।

(ग) ऐसे मामलों में जहां निचली सेवा में पदावन्नत का दण्ड एक निश्चित समयावधि के लिए है तो सम्बन्धित कर्मचारी का जिस पद से पदावनयन किया गया है वहां इस अवधि की समाप्ति पश्चात स्वतः ही पुनः पदोन्नत कर दिया जाना चाहिये। ऐसे मामलों में मूल सेवा ग्रेड या पद या समयावधि में वरिष्ठता {रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(D&A)73 RG 6-5 Dt. 22.01.1974 द्वारा स्पष्ट नियम 6(vi) of the Rly Servants (Discipline & Appeal) Rule 1968} में समाहित प्रावधानों के निम्नानुसार तय की जानी चाहिये।

i) उन मामलों मं जहां रिडक्शन से भावी वेतन वृद्धि स्थगित न हो, वहां उच्च सेवा ग्रेड या पद या उच्च काल वेतनमान में रेल कर्मचारी की वरिष्ठता उसी स्थान पर नियत की जायेगी, जिस स्थान पर रिडक्शन न होने की स्थिति में नियत होगी।

ii) जहां रिडक्शन से भावी वेतन वृद्धि स्थगित होती हो वहां रिडक्शन से पहले उच्च सेवा, ग्रेड या पद में रेल कर्मचारी द्वारा की गई सेवा अवधि का लाभ देकर उसकी वरिष्ठता नियत की जायेगी।

(घ) जब एक रेल कर्मचारी की उच्चतर ग्रेड या श्रेणी क निम्नतर ग्रेड में चाहे निश्चित समयावधि के लिए या अनिश्चित काल के लिए पदावनत किया जाता है, तो निम्नतम ग्रेड में उसकी वरिष्ठता उस स्थिति के संदर्भ में तय की जायेगी जिसमें उनकी पदावनति हुई हैं, पदोन्नति न पाने की दशा में हकदार होता है।

कार्यशाला में10% कोटे के विरूद्ध स्थानान्तरित कर्मचारियों की वरिष्ठताः (Para-179(xv) &(RBE 42/2002)

नियमित गैंगमेंन जिनका स्थानान्तरण 10% कोटे के विरूद्ध कार्य शाखा/कार्यशाला/यातायात और वाणिज्य विभाग में किया गया है उनको समाहित किये जाने वाले केडर में वरिष्ठता उनके द्वारा की गई कुल लगातार

सेवा की आधी अवधि होगी। इसी प्रकार स्टोर खलासी और सभी विभागों के सफाईवाले हिन्हें 10% कोटा के विरूद्ध कार्यशाला में समाहित किया गया है उनकी वरिष्ठता भी गई लगातार सेवा की आधी अवधि होगी। हालांकि 45 वर्ष से अधिक आयु के गैंगमेन और 33 वर्ष की आयु तक के स्टोर खलासी तथा सफाईवाला जिनका स्थानान्तरण 10% कोटा के अलावा हुआ है वे वरिष्ठता हेतु किसी प्रकार की पिछली सेवा गणना के हकदार नहीं होगें।

i. दिनांक 01.01.2006 से 04.09.2008 (छठा वेतन आयोग क्रियान्वयन तिथि) की अवधि में की गई पदोन्नतियां संरक्षित (protected) रहेगी। रेल कर्मियों की दिनांक 04.09.2008 की वरिष्ठता को कायम रखा जायेगा तथा उच्च वेतनमान के पदधारी या ऐसे पद जो कि फिडिंग कोटि के पदोन्नति पद हैं, पर कार्यरत कर्मचारियों को सामूहिक रूप से (enblock) उन सभी कर्मचारियों से वरिष्ठ रखा जायेगा जो निम्न वेतनमान या फिडिंग कोटि में कार्यरत थे।
ii. ऐसे मामलों में जहां पद विभिन्न वतनमानों में थे लेकिन छठे वेतन आयोग पश्चात समान पे बैण्ड व ग्रेड पे में संशोधित हो गए है वहां कर्मचारियों की पारस्परिक वरियता (inter seniority) को बनाये रखते हुए पूर्व संशोधित वेतनमानों में उच्च वेतनमान में कार्यरत कर्मचारी को वरिष्ठ रखा जायेगा।
iii. ऐसे मामलों में जहां विभिन्न वेतनमान के पदो पर नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया छठे वेतन आयोग की स्वीकृति पूर्व अर्थात 04.09.2008 से पूर्व शुरू हो गई थी लेकिन चयनित कर्मचारियों ने 05.09.2008 या उसके पश्चात ऐसे पदों पर कार्यग्रहण किया हैं जिनको समान ग्रेड पे दिया गया हैं, वहां ऐसे कर्मचारियों को सामूहिक रूप से उन कर्मचारियों के नीचे वरियता दी जायेगी जो 04.09.2008 को वहां कार्यरत है।
iv. डी.पी.सी./चयन पश्चात चयन बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपलब्ध करवाई गयी चयनित सूची/पैनल कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण 04.09.2008 की स्थिति के अनुरूप किया जायेगा। अगर चयन सूची/पैनल पर उपलब्ध किसी भी कर्मचारी ने 04.09.2008 या उससे पूर्व पदोन्नति पर कार्यग्रहण कर लिया है तो चयन सूची/पैनल पर उपलब्ध कर्मचारियों की स्थिति (status) संरक्षित (protected) रखते हुए सभी कर्मचारियों को उस तिथि को उपलब्ध मानते हुए वरिष्ठता के मूल सिद्धांतो के अनुरूप अर्थात चयन सूची/पैनल स्थिति के अनुसार उनकी वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा।

लेकिन ऐसे मामलो में जहां चयन सूची/पैनल पर उपलब्ध सभी कर्मचारियों ने दिनांक 04.09.2008 या उसके पश्चात कार्य ग्रहण किया है वहां ये कर्मचारी उन सभी कर्मचारियों से वरिष्ठता में नीचे रहेंगे जो उस वेतनमान में पूर्व में ही कार्यरत थे।

=-=-0-=-=